केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
आँचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600 फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेडओएल/प्रशा/यूपीएस/108/खण्ड-II / दिनाँक 04.04.2014

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ में स्थापित 5 एवं 3 केवीए, यूनीलाइन, यूपीएस के लिए निम्नानुसार 24 SMF बैटरी (12V 42 AH) क्रय करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं

Specifications of Batteries for 5 & 3 KVA, Uniline, UPS

S. No.	Name & Make of Item	Specification of the Batteries	Qty.
01	***SMF Batteries*** ***Make***- Exide, HBL & Amron/Quanta	12V 42 AH	24 Nos.

Rate should be quoted under Buy-Back scheme

इस संबंध में ***नियम व शर्तें*** निम्नानुसार है-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनाँक 01.05.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. निविदाओं को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा क्रमांक जेडओएल/प्रशा/यूपीएस/108/खण्ड-II/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।

03. बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा खोले जाने की तिथि 02.05.2014 (अपराहन 3 बजे) को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता हैं।

04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।

05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।

06. दिए गए दर पैकिंग, लोर्डिंग तथा अनलोर्डिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।

07. निर्धारित तिथि 01.05.2014 के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

08. बैटरी का वारण्टी पीरियड कम से कम 02 वर्ष का होना चाहिए इससे अधिक वाले को वरीयता दी जा सकती है तथा इस दौरान बैटरी में किसी प्रकार की खराबी आने पर आपको अपने खर्चे पर ठीक करना होगा।

09. बैटरी की कुल राशि का ***05 प्रतिशत ई.एम.डी. राशि*** निविदा के साथ ***डी.डी*** के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा के ***असफल*** होने की स्थिति में यह राशि दो माह के भीतर वापस कर दी जायेगी।

10. निविदा के ***सफल*** होने की स्थिति में कुल राशि का ***10 प्रतिशत परफोर्मेंस सुरक्षा राशि*** डी.डी./एफ.डी./बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना होगा जो वारंटी पीरियड के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. टाइपिंग या लिपकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोटः कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. Incharge,Cmputer Division, CPCB, H.O. Delhi – With a request to upload on CPCB's website
2. कार्यालय प्रति, आँ. कार्या. लखनऊ

अनुभाग अधिकारी